न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 587/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

सिमरन पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया वादीया

बनाम

1. रामदास पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बोलावाली तह.संगरिया।
2. धनवन्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री ओमप्रकाश वकील वादी
2— श्री नवरत्न स्वामी — वकील प्रति सं. 1,2

निर्णय दिनांक :— 19.1.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके निम्नानुसार है कि प्रतिवादी संख्या 1 रामदास पुत्र राजेन्द्र कुमार के नाम से कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक नं. 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 अनुसार कुल 3.428 है भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हमराह वाद पत्र के साथ है। कुल भूमि का विवरण निम्नप्रकार से हैः—

चक नम्बर 11 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
151/152	11	16/0.190, 17/1/0.063, 19 से 23/1.265, 24/1/0.126
152/152	12	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9,12,19,20,21/1, 22/1.278

कुल खसरे 18 कुल क्षेत्रफल 3.428 है.नहरी मय गै.मु. प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि हमारे दादा सोहन लाल पुत्र रामचन्द्र से प्राप्त हुई जो हमारे परिवार की संयुक्त एवं विरास्तन सम्पति है जिसमें मेरा भी 1/2 हिस्सा जन्मजात बनता है मेरे हिस्सा की भूमि मेरे दादा ने प्रतिवादी संख्या 1 को कालांतर में दे दी थी ज़िसकी शर्त हय तय की थी कि जब भी वादीया बालिग होकर भूमि की मांग करेगी उसी वक्त भूमि मेरे नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा दी जावेगी। इस प्रकार में वादीया अपने जन्मजात हिस्सा की भूमि प्राप्त करने की मुश्तहक एवं दावेदार हूँ। वादिया पहरा संख्या 3 में दर्ज प्रश्नगत भूमि मे 1/2 हिस्सा का अधिकार व जन्मजात हक रखती है जिसकी वह खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का अपने हक व अधिकार की भूमि का अच्छी मे से अच्छी व खराब मे से खराब भूमि का खाता विभाजन करवा प्राप्त करने की अधिकारी एव दावेदार है। वादीया के हक व हिस्सा की कृषि आज भी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि हमारे संयुक्त परिवार की तथा सहदायिका सम्पति होने से वशानुगत प्रति.सं. 1 के नाम दर्ज हो जाने से वह लालवंश व मन में बेईमानी आने से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अंकन होने व उसका अनुचित लाभ उठाने तथा वादिया को उनके हक हिस्सा से वचित करने के उदेश्य से उक्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने अर्थात अन्य व्यक्यिों को हस्तान्तरित करने पर प्रयासरत है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस विधि विरूद्व कृत्य में सफल हो गया तो वादिया को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादिया अपने सम्पति के अधिकारों से वंचित हो जाएगी। उक्त परिस्थितियों एवं आधारो पर प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन वादिया के पक्ष में पूर्णतया सिद्व है। ऐसी स्थिति में वादिया प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व शाश्वत् व्यादेश इस आश्य का प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 में स्वंय के नाम से वर्णित चक नम्बर 11 ए.एम.पी.खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कुल 3.428 है. मे से 1/2 हिस्सा की भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित व खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे। वादीया ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वह वादिया को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि मे से मुझ वादीया को 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मान लेवे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने इससे स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर वादिया की प्रार्थना है कि वाद वादिया निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीया को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कुल 3.428 है. मे से 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी को अंच्छी मे से अच्छी व खराब मे से खराब भूमि के आधार खाता विभाजन कर अलग से कब्जा दिलाया जावे एंव स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की चरण संख्या 3 में स्वंय के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में कुल 3.428 है. मे से मेरे 1/2 हिस्सा की भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित खुर्द–बुर्द व मुन्तकिल करने ममनू व बाज रहे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हो जाने के कारण वकील वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:-

1. चक 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073
2. चक 11 एएमपी नामान्तरण संख्या 489/28.12.2015
3. चक 11 एएमपी नामान्तरण संख्या 490/28.12.2015
4. चक 11 एएमपी नामान्तरण संख्या 673/14.07.2022

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में वादग्रस्त कृषि भूमि रामदास पुत्र राजेन्द्र कुमार के नाम दर्ज भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद भूमि है जिसमें वादीया का हक-हिस्सा निहित है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने भी वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की बहन एव प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है। चक 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 की वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीया एव प्रतिवादी 1 ता 2 मध्य राजीनामा भी हो चुका है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :- चक 11 एएमपी खाता संख्या 98/23 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 0.506 हैक्टर भूमि की वादीया एव 0.759 है. भूमि की प्रतिवादी सख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर वादीया एव प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

1. वादीया सिमरन पुत्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट सा.बोलावाली. के हक व हिस्सा की भूमि :- चक नम्बर 11 एएमपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
152/152	12	2/1/0.228, 2/2/0.025, 9/0.253

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. प्रतिवादी सं. 1 रामदास पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट सा.बोलावाली के हक व हिस्सा की भूमि :– चक नम्बर 11 एएमपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
151/152	11	16/0.190, 17/1/0.063, 19, 20/0.506, 24/1/ 0.126
152/152	12	1/1/0.228, 1/2/0.025, 12, 19,20/0.759, 21/1/0.076, 22/0.190

3. प्रतिवादीया संख्या 2 धनवन्ती पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन बोलावाली के हक व हिस्सा की भूमि :– चक नम्बर 11 एएमपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
151/152	11	21,22,23/0.759

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया